| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर अहकाम की तामील |
|---|---|---|
| 22/11/17 | नेकुलाल उप०।<br>वकील अप्रार्थी जवाब प्रार्थना पेश नहीं कर उक्त प्रार्थना को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति/ऐतराज नहीं होना जाहिर किया।<br>वकील प्रार्थी ने प्रार्थना 09 R 13 बाबत प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय डिक्री को सेट एसाइड करने का पेश किया कि वादीया द्वारा वादपत्र सं. 156/14 मगन नेकुड़ेली बनाम नेगाराम विरुद्ध प्रतिवादी के स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया कि तहसील मोजा रसरी पटवार हल्का ब्रिरवा के ख.नं. 915/2 रकबा 1-03 बीघा किता आराजी दोयम कृषि भूमि प्रार्थि की पैतृक पुश्तैनी सम्पत्ति है। प्रार्थि तीन पीढ़ी हक अधिकार से आज दिन तालीख की आराजी के कब्जे काश्त में इस्तेमाली कर रहे है उक्त आराजी में प्रार्थि का आवास रहवास एवं अवस्थित है तथा मकान पक्का निर्मित है आबादी क्षेत्र में है पानी बिजली का कनेक्शन भी लेरखा है। प्रतिवादी की ओर से वकालतनामा पेश करने पर वकील किशोर कुमावत ने अण्डरटेकिंग लिया परन्तु पेश नहीं करने से दिनांक 01/5/15 को एक पक्षीय कार्यवाही कर दी गई प्रतिवादी अनपढ़ एवं विधिक जानकारी नहीं होने से एकपक्षीय कार्यवाही की जानकारी नहीं है पाई तथा राजीनामा लोक अदालत अभियान दिनांक 10/7/15 को उक्त प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही होने से निर्णय कर दिया गया जबकि उक्त विवादित आराजी है तथा भूलवंश एवं मानवीय गलती वश मात्र अधिवक्ता की लापरवाही के कारण पक्षकार के हितों के विरुद्ध किये गये निर्णय एवं एक पक्षीय कार्यवाही को न्यायहित में सेट एसाइड किया जाना न्यायोचित है आवश्यक है।<br>प्रस्तुत जवाब एवं मूल पत्रावली व निर्णय दिनांक 10/7/17 का गहनता से अवलोकन किया गया। लिहाजा वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र अन्तर्गत | |

नम्बर
अहकाम
की तामी

| हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
| --- | --- | --- |
| | 09 R 13 CPC को स्वीकार किया जाता है. प्रतिवादी के विरुद्ध दिनांक 1/5/15 को की गई एक पक्षीय कार्यवाही एवं निर्णय दिनांक 10/7/15 को अपास्त (मंसूख) किया जाता है. मूल पत्रावली पुनः दर्ज हो। पत्रावली कौन्सल हुजूर [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] हो<br>500 | |